बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(योजना)-22/2014- 51(5अ०) /खाद्य,पटना-15,दिनांक- 21/11/14

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- **मुख्यशीर्ष** 3456, **सिविल पूर्त्ति, उपमुख्य शीर्ष** 00, **लघुशीर्ष** 789 **अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,** विपत्र कोड सं0- **पी0- 3456007890302,** मांग संख्या-18 **योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2014-15** के लिए कुल **1,10,28,23,400** (एक **अरब दस करोड़ अठाईस लाख तेईस हजार चार सौ) रुपये मात्र** आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष **3456**, सिविल पूर्त्ति, उप मुख्यशीर्ष **00**, लघुशीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड **सं0-पी0-3456007890302 मांग संख्या-18** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2014-15** में व्यय हेतु वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 6076/वि0 दिनांक 10.11.2005 एवं पत्रांक 687/वि0 दिनांक 24.07.2014 के आलोक में निम्नांकित तालिका के अनुसार आवंटित करते हुए आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

क्र0	ईकाइ का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आय-व्ययक उपबंध	पूर्व में आवंटित की गई राशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु आवंटित की जाने वाली राशि
1	33 01 सब्सिडी	1,83,80,39,000	73,52,15,600	1,10,28,23,400

1,10,28,23,400 (एक अरब दस करोड़ अठाईस लाख तेईस हजार चार सौ) रुपये मात्र

2. इस राशि की निकासी राज्य योजना के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष **3456** सिविल पूर्त्ति, उपमुख्य शीर्ष **00**, लघु शीर्षः-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, **मांग संख्या-18**, उपशीर्ष **0302** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड **सं0-P 3456007890302 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी** (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत विकलनीय होगी ।

3. इस राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी । राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है । गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

4. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि का ईकाइवार विवरणी निर्धारित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में अगले माह की 10वीं तारिख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगें, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए पूर्णत जिम्मेवार होगें ।

6. 33 01 सब्सिडी में आवंटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् ही की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

सचिव 21/11/2014

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)22/2014 41(९प्र२) खाद्य, पटना/दिनांक- 21/11/14

प्रतिलिपि-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 21/11/2014

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)22/2014 41(९प्र२) खाद्य, पटना/दिनांक- 21/11/14

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 21/11/2014

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)22/2014 41(९प्र२) खाद्य, पटना/दिनांक- 21/11/14

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 01,05 एवं 06 लेखा शाखा (दो प्रतियों में) एवं आई0टी0 मैंनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 21/11/2014